


13/02/26

पत्रावली पेशा हुई। वकील प्राथमिकता
अनुपस्थित। स्वयं प्राथमिकता भी अनुपस्थित।
कक-कक कर तीन बार आवाज लगाई
गई, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं
हुआ। अतः प्रकरण अन्तर्गत 0928
CPC अधिनियम दायरी अधिनियम पैरवी में
स्वारेज की जाती है। पत्रावली फेसल
शुमार दोकर नम्बर से कम दोकर
बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।




13/2/26
उपखण्ड अधिकारी
पिंपरी, जिला न्यायालय (सक-1)

